न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 65 / 2019

प्रार्थी :– हीराराम पुत्र प्रभूराम व तेजाराम, सुखेदव पिसरान भीमाराम, सोहनलाल, पोकरराम, आसूसिंह, नारायणसिंह पिसरान स्व0 जोगाराम, वरजुदेवी बेवा जोगाराम जातियान पुरोहित निवासीयान सराणा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :–
1. डाई पत्नी मकुनाराम
2. शंकरराम पुत्र मुकनाराम के कायम मुकाम :–
2/1 पारसमल पुत्र शंकरराम
2/2 चतरसिंह पुत्र शंकरराम
2/3 हवाकंवर बेवा शंकरराम
3. वरधा पुत्र गणेश
4. लाला पुत्र प्रभु
5. दाखु पत्नी लालसिंह
6. देवाराम पुत्र प्रभुराम सभी जातियान पुरोहित, निवासीयान ग्राम सराणा
7. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा आसोतरा
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तः– 1 श्री ओमसिंह राजपुरोहित प्रार्थी वकील
2. श्री चेलाराम कुमावत विप्रार्थी वकील

आदेश

दिनांक :– 27.10क्2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है,की सरहद मौजा सराणा के खसरा न0 1073/519 रकबा 16.15 बीघा व खसरा न0 1401/522 रकबा 17.18 बीघा में प्रार्थीगण के आने जाने हेतु नजदीक में सराणा से जानियाना जाने वाली सडक आई हुई है जो संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में मार्क 'जी' से 'एच' दर्शायी गयी है तथा इसी मार्ग से जुडता कटाण रास्ता नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में मार्क 'ई' से एफ वरंग हरा से दर्शाया गया है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की जोत में आवागमन हेतु पूर्व में नहीं है। प्रार्थीगण के हक हिस्से की जोत में उक्त स्थान के रास्ते के सिवाय कोई नजदीक रास्ता नहीं है जिससे नजरी नक्शा मे दर्शाये मार्क 'ए' से 'ई' अनुसार वरंग लाल विप्रार्थीगण के खसरा नं. 1042/474, 1044/475, 477, 1077/521 व 522, 1401/522, 518 मे से होकर प्रार्थीगण के हक हिस्से की जोत तक

Scanned with CamScanner

आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु 30 फिट चौडा रास्ता घोषित करने का निवेदन किया है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को दिनांक 28.05.2019 नोटिसेज जारी किये गये, जो बाद तामिल के पेश हुए। विप्रार्थीगण संख्या – 01, 2/1, 2/2, 2/3, 6 की ओर से वकील उपस्थित व जवाब पेश किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 की ओर से वकील उपस्थित व जवाब मय दस्तावेज पेश किया दिनांक 17.09.2019 को तहसीलदार पचपदरा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा की पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार पचपदरा ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौजा सराणा के ख0न0 1073/519 तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 1042/474 व ख0न0 1044/475 में से प्रस्तावित रकबा क्रमशः 0.11 बीघा व 01.05 बीघा है जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 दर 62700/ रूपये प्रति बीघा है। आवंटित भूमि मौका अनुसार रास्ते हेतु उपयुक्त है।

प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 के वकील उपस्थित वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 के वकील ने लिखि बहस पेश की तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु नजदीकी रास्ताअ माफिक नक्शा परिशिष्ट 'ब' में मार्क 'र' से 'स' नजदीकी रास्ता पडता है साथ ही तहसीलदार द्वारा पेश मौका फर्द की रिपोर्ट व परिशिष्ट में विप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 के खेत खसरा संख्या 1044 /575 की कुछ भूमि खेत खसरा 473 की और छोडी है जिस पर 473 के खातेदार का अवैध कब्जा है जिसको हटाने हेतु विप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने उनके विरूद्व धारा 183 का बाद पत्र इसी न्यायालय में पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। अगर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तो विप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 को अपूर्णीय क्षति होगी तथा उनका खेत भिन्न भिन्न खसरों में बट जाऐगा जिसके नुकसान भरपाई का मूल्याकंन नही किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

दोनो पक्षों के वकील की बहस को सुना एवं पत्रावली में पेश दस्तावेज व लिखित बहस का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया।

चूंकी प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य हेतु रास्ता घोंषित करने का अनुतोष चाहा है जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अगर प्रार्थीगण का माफिक प्रार्थना पत्र रास्ता घोषित किया जाता है तो विप्रार्थी संख्या 4 व 5 को अपूर्णिय क्षति होगी जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner